रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082020-220838
CG-DL-E-04082020-220838

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2267] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2020/श्रावण 9, 1942
No. 2267] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2020/SHRAVANA 9, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2020

का.आ. 2561(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2335 (अ), तारीख 25 अगस्त 2015 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 47 (नया रारा-66) के (तिरूवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा सेक्शन) का 0.000 किमी से 43.000 किमी तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण'कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात"नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47(नया रारा-66)के डिज़ाइन कि.मी. 0.000 से कि.मी43.000 (विद्यमान कि.मी. 0.000 (552+000) से कि.मी43.000) तक तिरूवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा खण्ड के पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग हेतु 4.27 कि.मी. (जिनकी लंबाई संरचना 0.427 किमी) की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनोपर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60% की दरऔर कुल लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के 23.77 कि.मी. (जिनकी लंबाई संरचना 2.377 किमी) के लिए सारिणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दरों का 100% और चार लेन या उससे अधिक के उपयोग के लिएबाईपास जिनकी लंबाई 40.196 किमी है, और लागत दस करोड़ या उससे अधिक है, के उपयोग के लिए सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों पर150% की आधार दर से शुल्क उद्ग्रहित करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजापर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
केरल राज्य के तिरूवल्लम के निकटरारा-47 (नया रारा-66) के 18.250 किमी पर	शून्य	चार लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी – 3						
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	आरंभ होते हुए	मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रूपए में)	
केरल राज्य में तिरूवनंतपुरम जिले के तिरूवल्लम के निकटरारा-47 (नया रारा-66) के 18.250 किमी पर	तिरूवनंतपुरम बाईपास 0.000 किमी से 43.000 किमी	रारा-47 (नया रारा-66) का डिज़ाइनकि.मी. 0.00 (विद्यमान कि.मी. (552+00)	डिज़ाइन किमी 43.000	40.196 किमी [संरचना की लंबाई (अर्थात 2.804 किमी) को छोड़ कर]	2414.34	चार लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3 . उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी – 4

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई* (कि.मी. में) में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
केरल राज्य में तिरूवनंतपुरम जिले के तिरूवल्लम के निकटरारा-47 (नया रारा-66) के 18.250 किमी पर	**0.427**	**4.27**	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	2.377	23.77	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल लंबाई	2.804	28.04	

^ ब्योरा इस प्रकार है :

क्रम सं.	चैनेज (किमी)		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1.	5.746	6.115	4 लेन पुल	0.369
2.	9.634	9.764	2 लेन फ्लाईओवर	0.130
3.	9.764	9.847	4 लेन आरओबी	0.083
4.	9.847	10.144	**2 लेन फ्लाईओवर**	0.297
5.	10.144	11.294	**4 लेन वायडक्ट कम फ्लाईओवर**	1.150
6.	16.916	17.026	**4 लेन** पुल	0.110
7.	23.666	23.860	**4 लेन वायडक्ट**	0.194
8.	30.312	30.693	**4 लेन वायडक्ट**	0.381
9.	35.559	35.649	**4 लेन** पुल	0.090
कुल				2.804

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष **2019-20** के लिए मासिक पास की दर **265.00/-**रूपए (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमोंके उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्ः

सारणी-5

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप नियम 1ए के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के **नियम 5** के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस **परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 2414.34 करोड़ रुपए है**। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[सं. भाराराप्रा/13013/680/सीओ/19-20/जीसी-तिरूवनंतपुरम बाईपास सेक्शन]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2020

S.O. 2561(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O.2335(E) dated the 25th August, 2015, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Kilometer 0.000 to Kilometer 43.000 (Thiruvananthapuram-Kerala/Tamil Nadu border Section) of National Highway No.47 (New NH-66) in the State of Kerala to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the base rate specified in column(2) of the Table-1 for equivalent structure length (having more than 60m length) of 4.27 Km (having length of 0.427 Km) for the use of two lane with paved shoulders and at 100% of the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for total equivalent length of structure (having more than 60m length) of 23.77 Km (having total length of 2.377 Km) and at one and one half times the base rate for a section of length 40.196 Km of bypass costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane of Thiruvananthapuram-Kerala/Tamil Nadu border Section from design kilometer 0.000 to kilometer 43.000 (existing km 0.000 (552+000) to km 43.000) of National Highway number 47 (New NH-

66) in the State of Kerala and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee namely:

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely;

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km.18+250 of NH 47 (New NH-66) near Thiruvallam district of Kerala State	NIL	100% for four lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:-

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of Bypass with Chainage	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which Fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Km.18+250 of NH 47 (New NH-66) near Thiruvallam district of Thiruvananthapuram Kerala State	Thiruvananthapuram Bypass Km 0.000 to Km 43.000	Design km 0.00 (existing km (552+00) of NH-47 (New NH-66)	Design km 43.000	40.196 Km [excluding length of structure (i.e., 2.804 Km]	2414.34	150% of the base rates (i.e. 1.5 times of 100% of the base rates) mentioned in Table-1 above

3. The following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table-4

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 18.250 near Thiruvallam village in Thiruvananthapuram District	0.427	4.27	60% of the base rates mentioned in Table-1 above
	2.377	23.77	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total Length	2.804	28.04	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Structure having length more than 60 m			
	Location of Structure (Chainage Km.)		Type of Structure	Length (Km.)
1	5.746	6.115	4 Lane Bridge	0.369
2	9.634	9.764	2 Lane Flyover	0.130
3	9.764	9.847	4 Lane ROB	0.083
4	9.847	10.144	2 Lane Flyover	0.297
5	10.144	11.294	4 Lane Viaduct Cum Flyover	1.150
6	16.916	17.026	4 Lane Bridge	0.110
7	23.666	23.860	4 Lane Viaduct	0.194
8	30.312	30.693	4 Lane Viaduct	0.381
9	35.559	35.649	4 Lane Bridge	0.090
Total				**2.804**

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table-5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in sub-rule 1A of rule 10 of said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 2414.34 Crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, change of scope etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/680/CO/19-20/GC-Thiruvananthpuram Bypass Section]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.08.04 21:27:01 +05'30'